<u>राजस्थान सरकार</u>
<u>नगरीय विकास विभाग</u>

क्रमांक प. 18(35)नविवि / सेक्टर प्लान / 2015 जयपुर, दिनांक 4 OCT 2021

–:आदेश:–

राज्य सरकार द्वारा शहरी नागरीकों के दिन–प्रतिदिन की समस्याओं के निस्तारण के दिशा में निरन्तर किये जा रहे प्रयासों में नगरीय निकायों से संबंधित सेवाओं की प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर त्वरित समाधान हेतु प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 दिनांक 02 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ किया जा रहा है।

वर्तमान में राज्य के प्रथम श्रेणी शहरों के अधिकांश जोनल डवलपमेंट प्लान का प्रारूप तैयार कर आपत्ति / सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया जा चुका है अथवा शीघ्र ही प्रकाशित किया जाना प्रस्तावित हैं।

प्रथम श्रेणी के शहरों के जोनल डवलपमेंट प्लान को अन्तिम रूप देने में समय लगने की संभावना एवं प्रस्तावित प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 के दृष्टिगत जिन शहरों के प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान पर आपत्ति / सुझाव प्राप्त हो चुके है एवं आपत्ति / सुझावों के आधार पर जोनल डवलपमेंट प्लान को अंतिम रूप दिये जाने का कार्य प्रक्रियाधीन होने की स्थिति में नगर नियोजन संबंधी प्रकरणों का निष्पादन आदि कार्य निम्नानुसार किया जावे:–

1. प्रकरण से संबंधित क्षेत्र के संबंध में प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान में किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नही हो एवं किसी क्षेत्र विशेष में मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू–उपयोग में संशोधन अपेक्षित नही हो, तो प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान के अनुसार कार्यवाही जा सकेगी।
2. यदि किसी प्रकरण विशेष में प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान में आपत्ति प्राप्त होने तथा मास्टर प्लान में किसी प्रकार के संशोधन की कार्यवाही अपेक्षित होने पर प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान के अनुमोदन होने के पश्चात् ही मास्टर प्लान एवं जोनल डवलपमेंट प्लान के प्रावधानों के अनुरूप ही कार्यवाही की जा सकेगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Sd/-

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान/एन.सी.आर, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त
10. उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
11. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
12. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

11/10/21

उप नगर नियोजक